बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं० --स्था०1/आ०2--11/2017 210 /पटना, दिनांक: 06/09/2021

कार्यालय आदेश

श्री परवेज आलम, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के का०आ०सं०--153 सहपठित ज्ञापांक--2025 दिनांक--14.10.2020 द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया है।

2. श्री परवेज आलम के विरूद्ध श्री राम राईस मिल, एकसारा, बेन से सी०एम०आर० का चावल लेकर तीन ट्रक द्वारा राज्य खाद्य निगम गोदाम, गिरियक ले जाने के क्रम में चोरी के नियत से परवलपुर में रोक कर एस०एफ०सी० का सी०एम०आर० उतारने या उतारने का प्रयास करने की सूचना प्रभारी थानाध्यक्ष, पवरवलपुर द्वारा देने के बावजूद जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बेन--सह--सी०एम०आर० संग्रह केन्द्र प्रभारी, बेन को प्राथमिकी दर्ज करने का स्पष्ट आदेश नहीं देने एवं वरीय पदाधिकारियों का दवाब पड़ने पर दिनांक--26.06.2016 को थाना में आकर Back Date से प्राथमिकी दर्ज करने का प्रतिवेदन देने, सी०एम०आर० गोदाम, खरूआरा के भंडार पंजी के अधिकतर इंट्री में भंडारित सी०एम०आर० की मात्रा गोदाम की क्षमता से काफी अधिक होने, साप्ताहिक/मासिक बैठक में गोदामों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखने के दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने, खरीफ विपणन वर्ष 2016--17 के अन्तर्गत सी०एम०आर०(चावल) प्राप्ति संबंधी कार्य में शिथिलतता, पर्यवेक्षण में लापरवाही एवं खाद्यान के गबन में संलिप्ता के आरोप पर निदेशालय के का०आ०सं०--85 सहपठित ज्ञापांक--508 दिनांक--22.02.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। अपर समाहर्त्ता, नालंदा--सह-- संचालन पदाधिकारी से प्राप्त संचालन प्रतिवेदन में श्री परवेज आलम के विरूद्ध गठित आरोप संख्या--1 एवं 4 प्रमाणित पाये जाने एवं आरोप संख्या--3 के एक भाग प्रमाणित पाये जाने के समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री परेवज आलम से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् मामले के समग्र समीक्षोपरान्त श्री परवेज आलाम का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप इसे अस्वीकृत करते हुए निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा श्री परवेज आलम पर निदेशालय के का०आ०सं०--153 सहपठित ज्ञापांक--2025 दिनांक--14.10.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(vi) में किये गये प्रावधानों तहत संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया। उक्त आदेश में यह भी उल्लेखित है कि श्री परवेज आलम के विरूद्ध दर्ज परवलपुर (नालंदा) थाना कांड संख्या--78/2017 दिनांक--09.05.

0220 स्था0 1 (का0 आ0) (सितंबर 2021) परवेज आलम.

"[illegible]"

2017 एवं हरनौत (चेरो) थाना कांड संख्या–254/2016 दिनांक–05.09.2016 में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय से विभागीय कार्यवाही में लिया गया निर्णय प्रभावित होगा।

3. श्री परवेज आलम द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन दिनांक–01.01.2021 में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि:–

आरोप– 01:– जाँच पदाधिकारी द्वारा केवल संभावना एवं संकेत के आधार पर उन्हें दोषी माना गया है। 'इंगित करना ' आरोप का प्रमाणित होना नहीं है। यह केवल और केवल संभावना है। उनके द्वारा इस आरोप के लिए अधिक से अधिक उन्हें संवेदनहीन और लापरवाह माना गया है।

तथ्य यह है कि उनके द्वारा इस आरोप से संबंधित मामले में सभी आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। वे स्वयं घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे। रात के 10.00 बजे अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा के द्वारा उन्हें सूचित करने पर उनके द्वारा अविलंब अपने अधीनस्थ प्रखंड कृषि पदाधिकारी–सह–सी०एम०आर० गोदाम प्रभारी, बेन को आवश्यक निदेश दिया गया और रात्रि के 10.00 बजे प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निर्देश ही दिया जा सकता था जो उनके द्वारा दिया गया। यदि प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो उसके लिए वे लोग दोषी हैं न कि वे।

आरोप– 03:– इस आरोप के लिए भी जाँच पदाधिकारी द्वारा उन्हें केवल भौतिक निरीक्षण , प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उदासीनता बरतने का दोषी ही केवल माना गया है।

आरोप– 04:– उनके विरमित होने के ठीक पहले दिनांक–27.03.2017 को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बिहारशरीफ(नालंदा) द्वारा राज्य भंडार निगम, बिहारशरीफ स्थित गोदामों का भौतिक सत्यापन उनकी उपस्थिति में किया गया और अपने प्रतिवेदन में उनके द्वारा संतोष प्रकट किया गया तथा किसी प्रकार की अनियमितता का उल्लेख नहीं किया गया।

उनके प्रभार सौंपने के दो माह बाद दिनांक–28.06.2017 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहारशरीफ (नालंदा) के जाँच में राज्य भंडार निगम के गोदाम में अनियमितता पायी गयी।

अतः इस आरोप के लिए वे कहीं से भी उत्तरदायी नहीं है, निश्चित रूप से यह अनियमितता उनके विरमित होने के बाद बरती गयी है।

अतएव गोदाम प्रभारी के द्वारा उनके विरमित होने के बाद बरती गयी अनियमितता के लिए उन्हें दोषी ठहराना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में केवल संभावना व्यक्त की गई है।

4. श्री परवेज आलम से पुनरीक्षण आवेदन की समीक्षा की गयी समीक्षोपरान्त पाया गया कि :–

<u>आरोप संख्या – 1 :–</u> सी०एम०आर०, एकसारा गोदाम, बेन से चावल राज्य खाद्य निगम के गिरियक गोदाम के लिए भेजे गये ट्रक से बेन मोड़ पर चावल उतारा जाना स्पष्ट करता है कि चावल कालाबाजारी करने के नियत से उतारा गया था। उसके बाद भी संबंधित पदाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वरीय पदाधिकारियों को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना थाना लाकर पुनः उसे छोड़ देना और फिर बाद

में वरीय पदाधिकारियों का दबाव पड़ने पर Back Date से प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन देना इस बात को इंगित करता है कि इस कार्य में तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा श्री परवेज आलम की भी संलिप्तता थी।

<u>आरोप संख्या – 3</u> :–श्री परवेज आलम द्वारा भौतिक निरीक्षण, प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उदासीनता बरती गयी है एवं निर्धारित प्रपत्र में जाँच किये बिना ही जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं निगम मुख्यालय के प्रतिवेदन समर्पित किया जाता रहा ।

<u>आरोप संख्या – 4</u> :– खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत सी०एम०आर० (चावल) प्राप्ति संबधी कार्य एवं खाद्यान्न के गबन में भी श्री परवेज आलम की भूमिका संदिग्ध है।

उक्त आरोपों के विरूद्ध श्री परवेज आलम के पुनरीक्षण आवेदन में कोई ठोस तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–28 के तहत प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन के विचारण से स्पष्ट है कि श्री परवेज आलम को संगत नियमावली के तहत विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर प्रश्नगत दंडादेश निर्गत किया गया। अतएव श्री परवेज आलम का पुनरीक्षण आवेदन दिनांक–01.01.2021 स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में श्री परवेज आलम , तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना के पुनरीक्षण आवेदन दिनांक–01.01.2021 को अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/–

(बैद्यनाथ यादव)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–11/2017 1111 पटना, दिनांक : 06/09/2021

प्रतिलिपि :–सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, नालंदा /पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री परवेज आलम, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 6/9/2021

0220 स्था0 1 (का0 शा0) (सितंबर 2021) परवेज आलम.